O/c
26/05/2020

North Karanpura Transco Limited

(Program Under Government of India)
Sunita Sadan, 1st Floor, Ashram Marg Bariatu, Near Military Firing Range,
Dist –Ranchi, Pin 834009 Jharkhand

Ref: NKTL(s)/2020-21/F54

Date: 26/05/2020

To,
Divisional Forest Officer
Chatra South, Jharkhand

Subject: Diversion of 56.3254 Ha. of Forest Land towards "Construction of 400 kV D/C North Karanpura - Chandwa Transmission Line" in the state of Jharkhand in-favor of M/s. North Karanpura Transco Limited: **Submission of GM JJ NOC**

Reference: 1.Your letter no: 673 dated 04/03/2020.
2. NKTL Letter No: NKTL(s)/2020-21/F53 dated 20/05/2020

Dear Sir,

With reference to the above, we are submitting **GM JJ NOC issued by DC Chatra** for North Karanpura –Chandwa Line.

Our humble request to consider the GM JJ NOC issued by DC Chatra (Copy enclosed) for completing the required site visit and processing part-II compliance of our above mentioned proposal for diversion of Forest land.

Yours Faithfully

For [Stamp: North Karanpura Transco Limited] [signature] 26/05
Shashank Deshmukh
Sr. Engg.

For, **M/s. North Karanpura Transco Limited.**
(Authorized Signatory)

Encl:

1. DC Chatra GM JJ NOC letter

Scanned by CamScanner

प्राप्ति रसीद

① आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल
हजारीबाग।

पत्रांक- 457 / रा०
22/5/2020
(विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण का संलग्न)

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

समाहरणालय, चतरा।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 457 /रा0 दिनांक 22/05/2020

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

विषयः– चतरा जिलान्तर्गत अंचल टण्डवा में 400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से चन्दवा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु अपयोजित गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंगः– सहायक प्रबंधक, नॉर्थ करणपुरा, ट्रांसको लिमिटेड का पत्रांक–NKTL(S)/2019-20/F15, दिनांक–09.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में चतरा जिलान्तर्गत अंचल टण्डवा में 400 KV D/C नॉर्थ करणपुरा से चन्दवा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु ग्राम–राहम, कामता, मासीलौंग, सराढ़ु, देवलगड़ा एवं कुण्डी में कुल–12.0945 हे0 (29.88 एकड़) जंगल–झाड़ी भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में इस पत्र के साथ संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4908/रा0, दिनांक–17.12.2019 के आलोक में नॉर्थ करणपुरा, ट्रांसको लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित भूमि का विभागीय संकल्प संख्या–48/रा0 दिनांक–03.01.2017 के आधार पर की गई गणना कुल राशि–2,42,36,535.25 (दो करोड़ बेयालीस लाख छत्तीस हजार पाँच सौ पैतीस रूपये पच्चीस पैसे) रूपये का 80% राशि कुल–1,93,89,228.00 (एक करोड़ तिरानवे लाख नवासी हजार दो सौ अठाईस) रूपये विभागीय शीर्ष में E-Challan के माध्यम से NOC हेतु जमा किया गया है। (E-Challan की प्रति संलग्न)

अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
22/5/20
उपायुक्त,
चतरा।

Scanned by CamScanner

आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग।

(राजस्व शाखा)

—:प्रमाण—पत्र:—

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—5/स0भू0 लातेहार—1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक—30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागो/कम्पनियों/प्रतिष्ठानो/उद्यमो/ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल—झाडी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल—झाडी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला—चतरा, अंचल—टण्डवा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का नॉर्थ करणपुरा ट्रान्सको लिमिटेड के पक्ष में सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:—

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (हे0 में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टण्डवा	राहम	62	78	679	0.6776	गैरमजरुआ खास जंगल—झाड़ी
				176	739	0.0167	
		कामता	60	104	1090	0.5376	
					797	1.4779	
					934	1.5624	
					938	0.0310	
					939	0.0588	
					945	0.7210	
		मासीलौंग	61	1	274	0.2883	
					312 (P)	1.0450	
					45	0.1307	
					69	1.1146	
					71	0.0048	
					76	0.2971	
					80	0.1786	
		सराढु	29	278	448	0.0020	
					457	0.0001	
					460	0.1059	
					485 (P)	0.9766	
				65	455	0.0732	
		देवलगड़ा	28	27	120	0.0069	
		कुण्डी	27	37	1 (P)	1.4792	
					14	1.3085	
					कुल	12.0945 हे0	

कुल 12.0945 हे0 में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में परियोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा	अपर समाहर्त्ता, चतरा।	उपायुक्त, चतरा।	आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

ज्ञापांक—....................../रा0, दिनांक—................................

प्रतिलिपिः—
1. नॉर्थ करणपुर, ट्रान्सको लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प संख्या—5/स0भू0 लातेहार—1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक—30.04.2015 में दिये गये निदेश के आलोक में Website के लिंक (Website के नाम सहित) एवं अद्यतन किये गये Upload संबंधी प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराते हुए इसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।
4. सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

Scanned by CamScanner